FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0290 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 11/11/2025 19:28 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 24/10/2025 Date To (दिनांक तक): 10/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:30 बजे Time To (समय तक): 15:23 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/11/2025 Time (समय): 14:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 11/11/2025 19:28:38 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): EAST, 32 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): KARALYA ANNPURNA RASOI YOJANA, SULTANA JILA JHUNUJHUNU

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): AASHA KUMARI VERMA

(b) Husband's Name (पति का नाम): SANDEEP KUMAR

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KITHANA, CHIDAWA, सुलताना , JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KITHANA, CHIDAWA, सुलताना , JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHARMENDRA KUMAR		पिता:SURESH KUMAR	1. NARHAD,PILANI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
2	RENUKA KUMARI		पति:KAILASH KUMAR	1. NARHAD,PILANI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 24.10.2025 को मन् उप अधीक्षक पुलिस को एसीबी हैल्प लाईन नम्बर 1064 ने परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवा सम्पर्क करने हेतु निर्देश प्राप्त हुये जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल से परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के मोबाईल पर सम्पर्क किया तो परिवादिया ने बताया कि मै किठाना की रहने वाली हॅू तथा राजीविका में कार्य करती हॅू। मेरा पिछले आठ माह से वेतन का भुगतान बकाया चल रहा है। राजीविका में मेरा वेतन बिल बनाने वाले श्री धर्मेन्द्र व ईंचार्ज रेणुका जी मेरे से मेरे वेतन मे से आधी राशि की रिश्वत की मांग कर रहे है। मन् उप अधीक्षक ने परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी को कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। दिनांक 24.10.2025 को समय 11.30 एएम पर परिवादिया श्रीमति आशा कुमारी उपस्थित कार्यालय आई तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयं का आधार कार्ड के इस आश्य का पेश किया कि सेवामें श्रीमान Dysp सा. भ्र.नि.ब्यूरो झुंझुनूं विषय ब्लाक आफिस चिड़ावा के रा.ग्रा.आ. परिषद के बाबू RRP धर्मेन्द्र जी को रिश्वत लेते पकड़वाने बाबत महोदय, निवेदन है कि मै आशा कुमारी W/O संदीप कुमार निवासी किठाना, तहसील चिड़ावा झुंझुनूं की रहने वाली हॅू मै राजिविका में जॉब करती हॅू। जिसमें ग्रामीण महिलाओ को कृषि व पशु पालन से संबंधित कार्य करती हू। जिसके बदले सरकार के द्वारा मुझे मासिक 4000 रुपये देती है। मेरी सेलेरी सैलेरी फरवरी से सितम्बर तक 32000 रुपये विभाग में बाकी चल रहा है हमारी तनख्वा करने वाले बाबूजी धर्मेन्द्र जी सलैरी पास करने के लिए के लिए और हमारी इर्चाज रेणुका जी के लिए में सेलैरी में से आधे रुपये कुल 16000 रुपये रिश्वत लेने की मांग कर रहे है। और कह रहे है कि पहले हमें ये 16000 रुपये दोगे तुम्हारी तन्खवा के बिल पास करेगे। मै अपनी मेहनत व जायज काम के बदले धर्मेन्द्र जी को रिशवत देकर बिल नही करवाना चाहती हू और उनको रिशवत लेते हुये कपड़वाना चाहती हू। आज दिनांक 24.10.2025 को सुबह धर्मेन्द्र जी से मेरी बात हुई तो उन्होने मेरे से बिल पास करने के लिए आधे रुपये देने की मांग की और कहा कि ऑफिस में आकर मेरे से बात करना। उन्होने मुझे आज अपने ऑफिस में बुलाया है। मै धर्मेन्द्र जी को रिशवत नही देना चाहती हॅू। और उनको रिशवत लेते पकड़वाना चाहती हॅू। मेरी और धर्मेन्द्र जी से कोई उधारी व लेनदेन बकाया नही है और मेरी धर्मेन्द्र जी से कोई रंजीस नही है। रिपोर्ट करती हू कार्यवाही करे। एसडी आशा कुमारी W/O संदीप कुमार, 24.10.025। मन् उप अधीक्षक पुलिस को परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी ने दरियाफ्त पर बताया कि मै आज ही श्री धर्मेन्द्र जी मिलकर रिश्वत मांग सत्यापन करवा सकती हॅू। धर्मेन्द्र जी ने मुझे आज सुलताना मिलने के लिए कहा है। परिवादिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया गया हैं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री प्रवीण कुमार कानि 36 से परिवादिया का परिचय करवाकर परिवादिया को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु व बन्द करने की विधि समझाईश करके श्री प्रवीण कानि को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादिया श्रीमति आशा कुमारी के साथ गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सुलताना रवाना किया गया। समय 02.30 पीएम पर श्री प्रवीण कानि 36 ने जरिये मोबाईल मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मै व परिवादिया सुलताना पहुंच परिवादिया को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री धर्मेन्द्र के पास रवाना किया जो कुछ समय बाद वापस आई जिनसे मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। परिवादिया ने बताया धर्मेन्द्र जी ने मेरे से रिश्वत की मांग नही की तथा धर्मेन्द्र जी ने कहा कि मैडम ने सोमवार बात करने के लिए कहा है तथा मैडम से मिलकर सलाह मशविरा करवा दुंगा। मै अभी व्यस्त हॅू बात नही कर सकता हॅू। कानि ने परिवादिया से भी जरिये मोबाईल बात करवाई तो परिवादिया ने भी उक्त बाते दोहराई। परिवादिया ने बताया कि सोमवार को धर्मेन्द्र जी से मिलकर मेरे वेतन भुगतान के संबंध में दुबारा बात करुगी। कानि को परिवादिया को वही छोडकर कार्यालय आने की हिदायत की गई। श्री प्रवीण कुमार कानि 36 उपस्थित

कार्यालय आया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द किया जिसको मेरे द्वारा चालु कर सुना तो कानि प्रवीण कुमार व परिवादिया द्वारा मोबाईल पर बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 28.10.2025 को श्री प्रवीण कानि 36 ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरी परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी से मोबाईल पर बात हुई है तथा परिवादिया ने बताया है कि आज धर्मेन्द्र जी नही मिलेगे इस कारण रिश्वत मांग का सत्यापन नही हो सकता है। धर्मेन्द्र के आने पर मै आपसे सम्पर्क कर लुंगी। दिनांक 29.10.2025 को श्री प्रवीण कानि 36 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे पास परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी का फोन आया है जिन्होने बताया है कि आज धर्मेन्द्र जी ने मुझे बात करने के लिए सुलताना बुलाया है। जिस पर कानि प्रवीण कुमार डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर परिवादिया के बताये अनुसार सुलताना रवाना किया गया। वक्त 12.15 पीएम पर श्री प्रवीण कानि 36 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल कॉल कर बताया कि मै सुलताना पहुंच परिवादिया से मिला तथा परिवादिया को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु हालत में सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु श्री धर्मेन्द्र के पास इंदिरा रसोई योजना के कार्यालय में रवाना किया तथा मै वही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकिम रहा। करीब आधा घण्टे बाद परिवादिया वापस आई जिससे मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादिया ने बताया कि मेरी धर्मेन्द जी से बात हो गई है जिन्होने मेरे वर्कडन वेरीफाई करने के लिए कहा है तथा मेरी पहले हुई गलती के बारे में एक शपथ पत्र लिखवाया एवं धर्मेन्द्र जी ने अपने मोबाईल से श्रीमती रेणुका जी के मोबाईल पर स्पीकर चालु कर स्वयं ने तथा मेरी बात करवाई तो रेणुका जी ने कहा कि जो धर्मेन्द्र जी कहेगे वो ही कर देना। धमेन्द्र जी ने मेरे वेतन में से आधा वेतन 16,000 रुपये व तथा 9000 रुपये सर्वे के रिश्वत की मांग की है। कानि ने मन् उप अधीक्षक पुलिस से परिवादिया की भी वार्ता करवाई तो परिवादिया ने भी उक्त बातो की ताईद की। समय 03.15 पीएम पर श्री प्रवीण कानि 36 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल कॉल कर बताया कि परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी को धर्मेन्द्र ने शपथ पत्र की पूर्ति करवाने के लिए वापस बुलाया है जिस पर मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर में दुसरा नया खाली कार्ड डालकर, डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु हालत में सुपूर्द कर वार्ता करने हेतु श्री धर्मेन्द्र के पास इंदिरा रसोई योजना के कार्यालय में रवाना किया तथा मै वही अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकिम रहा। करीब आधा घण्टे बाद परिवादिया वापस आई जिससे मैने डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादिया ने बताया कि मेरी धर्मेन्द जी ने मेरे से शपथ पत्र में पूर्ति करवाई तथा पुनः मेरे को मेरे वेतन भुगतान का आधा हिस्सा 16000 रुपये तथा 9000 रुपये सर्वे के भुगतान के, रेणुका मैडम को देने के लिए मांग की है और कहा है कि जल्द ही आपका भुगतान हो जायेगा। धर्मेन्द्र जी ने मुझे भुगतान होते ही रिश्वत देने के लिए कहा है। कानि ने मन् उप अधीक्षक पुलिस की परिवादिया से भी अपने मोबाईल से वार्ता करवाई तो परिवादिया ने भी कानि द्वारा बताई गई बातो की ताईद की। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादिया को बकाया वेतन का भुगतान होने पर सुचित करने कि हिदायत की गई। कानि को परिवादिया को वही छोडकर कार्यालय आने की हिदायत की गई। श्री प्रवीण कानि 36 उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय दो मैमोरी कार्ड सुपूर्द किये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो मैमोरी कार्ड को बारी-बारी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगा चालु कर सुना तो कानि प्रवीण कुमार व परिवादिया द्वारा मोबाईल पर बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर व दोनो मैमोरी कार्ड को सुरक्षित आलमारी में रखा गया। दिनांक 03.11.2025 को परिवादिया श्रीमती आशा कुमार वर्मा उपस्थित कार्यालय आई। कार्यालय के श्री कुमार सानु कानि 138 व श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का फर्द वार्ता रुपान्तरण तैयार करने हेतु स्वतंत्र गवाह मामुर किया। परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी व आरोपी श्री धर्मेन्द्र के मध्य दिनांक 24.10.2025 व परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी व आरोपी श्री धर्मेन्द्र के रुबरु तथा आरोपी धर्मेन्द्र कुमार के मोबाईल से आरोपिया श्रीमती रेणुका के मोबाईल पर दिनांक 29.10.2025 को हुई वार्ता को परिवादिया द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है को परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी व कार्यालय के श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40, श्री कुमार सानु कानि 138 को गवाह मामुर कर उनकी उपस्थिति में डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मैमोरी को कम्प्युटर से जोडकर रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण श्री प्रवीण कुमार कानि 36 से तैयार करवायी गई जिसमें परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी व आरोपी श्री धर्मेन्द तथा आरोपिया श्रीमती रेणुका के मध्य हुई रिश्वत मांग संबंधित वार्ताए रिकार्ड होना पाई गई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओ को चार पैनड्राईव कम्पनी hp 32gb के तैयार कर एक पैन ड्राईव एवं मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यु निकाल कर एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ए अंकित किया गया तथा दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड chiptron 4GB को निकालकर उसी की पैकिंग में रखकर मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रख थैली पर मार्क ए-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादिया ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री धर्मेन्द्र एवं एक आवाज श्रीमती रेणुका की आवाज होने की पहचान की है। पैकेटो को शिल्ड करने में पितल की नमूना शील नम्बर 6 उपयोग में ली गई। परिवादिया श्रीमती

आशा कुमारी व आरोपी श्री धर्मेन्द्र के मध्य दिनांक 29.10.2025 को रुबरु हुई वार्ता परिवादिया व कार्यालय के श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40, श्री कुमार सानु कानि 138 को गवाह मामुर कर उनकी उपस्थिति में डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मैमोरी को कम्प्युटर से जोडकर रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण श्री प्रवीण कुमार कानि 36 से तैयार करवायी गई जिसमें परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी व आरोपी श्री धर्मेन्द के मध्य हुई रिश्वत मांग संबंधित वार्ताए रिकार्ड होना पाई गई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओ को चार पैनड्राईव कम्पनी hp 32gb के तैयार कर एक पैन ड्राईव एवं मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यु निकाल कर एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क बी अंकित किया गया तथा दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32GB को निकालकर उसी की पैकिंग में रखकर मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रख थैली पर मार्क बी-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादिया ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री धर्मेन्द्र एलआरपी की आवाज होने की पहचान की है। समय 08.15 पीएम पर श्रीमती आशा कुमारी को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया । दिनांक 07.11.2025 को समय 03.10 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी ने बताया कि मेरे पास धर्मेन्द्र जी का फोन आया है और उन्होने कहा कि तुम्हारे इस महिने तक के वेतन के 36,000 रुपये तथा सर्वे का भुगतान 9000 रुपये जमा करवा दिये है तथा रिश्वत राशि जल्द ही देने के लिए कहा है। परिवादिया ने बताया कि धर्मेन्द्र जी ने मेरे से रिश्वत राशि सोमवार को मंगवाई है और कहा है कि मैडम को जल्दी ही पैसे देने है, आपका बार-बार मैडम के पास काम पड़ता रहता है। यदि मैडम को जल्दी रुपये नही दिये तो नाराज हो जायेगी। मै धर्मेन्द्र को 20,000 रुपये ही दूंगी, जिस पर परिवादिया को रिश्वत में दिये जाने वाले 20,000 रुपये लेकर सोमवार को एसीबी कार्यालय में आने की हिदायत की गई। दिनांक 10.11.2025 को पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार वाणिज्यक सहायक प्रथम कार्यालय कार्मिक अधिकारी (वृत झुंझुनूं), ए.वी.वी.एन.एल., झुंझुनूं एवं श्री सुरेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता (वितरण), ए.वी.वी.एन.एल., झुंझुनूं एवम् श्रीमती निर्मला महिला कानि 307 एसीबी चौकी सीकर कार्यालय उपस्थित आए। परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी मय रिश्वत में दी जाने वालि राशि 20,000 रुपये लेकर हाजिर कार्यालय आई। परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी का दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री राकेश कुमार व श्री सुरेन्द्र कुमार से आपस में परिचय करवाकर परिवादिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया एवम बतौर स्वतंत्र गवाह सहमती चाही तो दोनो ने स्वेच्छा से बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिवादिया के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी ने आरोपी श्री धर्मेन्द्र को रिष्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने की कहने पर परिवादिया ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटां पर श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। श्रीमती निर्मला महिला कानि 307 से परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 20,000 रूपये के नोट श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 से परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के पहने हुई कुर्ति के सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये गये। परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी को हिदायत की गई कि रास्ते मे इन रुपयो को नही छुये तथा आरोपी से हाथ नही मिलाये एवं मिलने पर अपने काम के संबंध में वार्ता करे तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। प्रदर्षन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81, परिवादिया, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन के लिए काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीषियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईषारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में खाली मैमोरी कार्ड को डालकर रिष्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक रिकार्ड करने हेतु परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 11.50 एएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैडकानि 155, श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40, श्री कुमार सानु कानि 138, श्री दलीप कुमार कानि 10, श्री राकेश कुमार कानि 243, श्री प्रमोद कुमार कनिष्ठ सहायक, स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार, श्री सुरेन्द्र कुमार, प्राईवेट वाहन, ट्रेप बाक्स, अनुसंधान सामग्री लेपटाप एवं परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी को श्री प्रवीण कुमार कानि 36 के साथ मय मोटर साईकिल के गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु सुलताना के लिए रवाना हुआ। श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक मय श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्रीमती निर्मला महिला कानि 307 व चालक श्री जगदेव सिंह मय सरकारी वाहन के चिड़ावा कि लिए रवाना किया। श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81 को कार्यालय में छोडा गया। समय 12.50 पीएम पर मन् उप

अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के कस्बा सुलताना से पहले पहुंच वाहनो को साईड में खड़ा किया। परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी ने श्री धर्मेन्द्र कुमार के बारे में गोपनीय रुप से मालुमात किया और बताया कि श्री धर्मेन्द्र जी अभी नही मिलेगे, वो इस समय फिल्ड में गये हुये है। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के श्री धर्मेन्द्र कुमार के आने के इंतजार में कस्बा सुलताना के बाहर मुकिम हुये। समय 03.05 पीएम पर परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी ने बताया कि मैने गोपनीय रुप से मालुमात किया है कि श्री धर्मेन्द्र जी अन्नपुर्णा रसोई योजना कार्यालय में आ गये है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के अन्नपुर्णा रसोई योजना कार्यालय के लिए रवाना हुये। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाप्ता, स्वतंत्र गवाहान व परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के रवाना होकर सुलताना बाजार में पहुँच वाहनो को साईड में खडा कर परिवादी व समस्त टीम को ब्रीफ किया। परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालु कर सुपूर्द किया। परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के साथ कानि प्रवीण कुमार को श्री धर्मेन्द्र कुमार को रिश्वत राशि देने हेतु अन्नपुर्णा रसोई योजना कार्यालय के लिए रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस वही अन्नपुर्णा रसोई कार्यालय के बाहर ट्रेप पार्टी सदस्यो के साथ परिवादिया के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय 03.23 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर परिवादिया का मिस काल का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता के श्री अन्नपुर्णा रसोई योजना, ग्राम पंचायत सुलताना के बाहर रास्ते पर पहुंचे जहा परिवादिया स्कुटी के पास खडे व्यक्ति के पास खडी मिली जिससे डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया। परिवादिया ने अपने पास खडे व्यक्ति की तरफ इशारा कर बताया कि यही श्री धर्मेन्द्र जी है जिन्होने अभी-अभी मेरे से रेणुका बी.पी.एम. के लिए 20,000 रुपये प्राप्त कर गिनकर अपने थैले में रखे है। जिस पर मन् उप अधीक्षक ने स्कुटी के पास खड़े व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर उस व्यक्ति से परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, जाति नाई, उम्र 32 साल, निवासी नरहड़, पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू हाल पशुधन संदर्भ व्यक्ति (एल.आर. पी.) राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद, कलस्टर सुलताना, ब्लाक चिड़ावा, जिला झुंझुनूं होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री धर्मेन्द्र कुमार को परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी से 20,000 रुपये किस बात के लिए है पूछने पर बताया कि मैने आशा जी से कोई रुपये नही लिये है फिर कहा कि यह रुपये मैने श्रीमती रेणुका बी.पी.एम., ब्लॉक चिड़ावा को देने के लिए लिये हैं। पास में खडी परिवादिया ने आरोपी श्री धर्मेन्द्र की बातो की ताईद करते हुये बताया कि धर्मेन्द्र जी मेरे से रुपये लेकर अपने मोबाईल से श्रीमती रेणुका के मोबाईल पर अपने मोबाईल का स्पीकर आनें कर बात की थी और मैडम को बताया था कि बीस हजार रुपये दिये है जिस पर रेणुका जी ने कहा कि बीस ही क्यो दिये है जिस पर श्री धर्मेन्द्र जी ने कहा की पांच हजार रुपये बाद में देने के लिए कह रही है तत्पश्चात आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से श्रीमती रेणुका के मोबाईल नम्बर [redacted] पर जरिये वाट्सअप पुनः कॉल करवाया गया तो रेणुका ने फोन नही उठाया। मौके पर आम रास्ता होने व बैठने की व्यवस्था नही होने के कारण आरोपी धर्मेन्द्र कुमार का दाहिना हाथ श्री ईशाक मौहम्मद कानि 40, व बाया हाथ श्री कुमार सानु कानि 138 को पकड़ा ज्यो का त्यो गाड़ी में बैठाकर हमराहियान के तथा श्री धर्मेन्द्र कुमार की स्कुटी कानि राकेश कुमार को लेकर पुलिस थाना सुलताना समय 03.45 पी.एम. पर पहुंच अग्रीम कार्यवाही शुरु की गई। श्री सुरेश चन्द पुलिस निरीक्षक जो चिड़ावा कस्बा में मय श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्रीमती निर्मला महिला कानि 307 व चालक श्री जगदेव सिंह सरकारी वाहन के मुकिम है को जरिये फोन निर्देशित किया कि श्रीमती रेणुका ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, ब्लॉक चिड़ावा की भूमिका संदिग्ध है उन्हे पुलिस थाना सुलताना लेकर आने की हिदायत की गई। तत्श्चात श्री दलीप कुमार कानि 10 के दोनो हाथ एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर दोनो प्लास्टिक के गिलासो में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार, एल.आर.पी. के दाहिने हाथ की अंगुलियो को उक्त रंगहीन घोल के गिलास में डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी होना बताया जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क आर-1 व आर-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया तथा आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार के बाये हाथ की अंगुलियो को दुसरे गिलास में तैयार रंगहीन घोल में डुबोकर धुलवाया गया धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर दोनो कांच की शिशियो में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवा कर क्रमशः मार्क एल-1 व एल-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। दोनो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को जला कर नष्ट करवाया गया। तत्पचात आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार को रिश्वती राशि पेश करने की कहने पर अपने बैग से नोटो की थई निकाल कर पेश की, उक्त नोटो का दोनो गवाहान से पूर्व की बनी फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने पूर्व की बनी फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट के मुताबिक होने बताया। बरामद रिश्वती राशि जिनका विवरण निम्न प्रकार है। 1 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5DG 205789 2 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9UF

087034 3 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8DQ 874320 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BK 289186 5 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0WR 518019 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1BG 824150 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BA 212833 8 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9VG 444127 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BS 865750 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5MH 834559 11 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7KE 275993 12 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7KD 096382 13 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5BA 268400 14 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2RM 465102 15 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1BD 347934 16 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AP 161361 17 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9BG 459838 18 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1DK 887944 19 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8WU 285108 20 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3EC 902405 21 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KV 844373 22 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7AQ 496375 23 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4QF 900685 24 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6QD 975915 25 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8HB 648917 26एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8PC 063887 27 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9VW 403098 28 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0GC 268936 29 एकनोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4VD 038796 30 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9FL 565469 31 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9AN 820305 32 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8RC 674643 33 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5KS 992538 34 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6TN 343074 35 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CE 111897 36 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AP 885013 37 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7BT 847864 38 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8UF 778902 39 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7BB 304569 40 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5NK 510133 बरामदशुदा उपरोक्त 20,000 रूपयों के नोटां को एक सफेद कपड़े में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कपड़े पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जस कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्श्चात श्री दलीप कुमार कानि 10 के दोनो हाथ एवं एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर प्लास्टिक के गिलास में मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार, एल.आर.पी. के बैग बरंग नीला की उपर की जेब को उलटाकर डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने हल्का गुलाबी होना बताया जिसे दो साफ कांच की शिशियो को साबुन व पानी से धुलवा कर कांच की शिशि में उक्त रंगीन घोल को आधा-आधा भरवाकर क्रमशः मार्क टी-1 व टी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को जला कर नष्ट करवाया गया। आरोपी की बैग को सुखाकर जेब पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा बैग को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड मोहर कर मार्क सी अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसी दौरान श्री सुरेश चन्द पु.नि. मय श्री करण सिंह हैड कानि 104, श्रीमती निर्मला महिला कानि 307, श्री जगदेव सिंह कानि चालक 354 मय सरकारी वाहन तथा श्रीमती रेणुका कुमारी, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, ब्लॉक चिड़ावा को हमारा लेकर हाजिर आये। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त महिला को अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम श्रीमती रेणुका कुमारी पत्नि श्री कैलाश कुमार, जाति जाट, उम्र 37 वर्ष, निवासी नरहड़ पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (बी.पी.एम.) ब्लॉक चिड़ावा जिला झुंझुनूं होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमती रेणुका को श्री धर्मेन्द्र कुमार एल.आर.पी. को परिवारिया श्रीमती आशा कुमारी से 20,000 रुपये रिश्वत राशि किस बात के दिलवाये है जिस पर श्रीमती रेणुका ने बताया कि मैने श्री धर्मेन्द्र को आशा कुमारी से 20,000 रुपये रिश्वत राशी लेने के लिए नही कहा था तभी पास ही बैठे आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार एल.आर.पी. ने कहा की रेणुका जी मैडम झुठ बोल रही है उन्ही के कहने पर तथा इन्हे ही देने के लिए मैने आज आशा जी से 20,000 रुपये लिए है परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी ने आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार की बातो की ताईद की। श्रीमती रेणुका को पुनः पूछा गया तो बताया कि मैने आशा कुमारी से रिश्वत की मांग नही की थी तथा ना ही मैने धर्मेन्द्र कुमार को आशा कुमारी से रिश्वत लेने के लिए कहा था। परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी ने बताया कि दिनांक 29.10.2025 को मै धर्मेन्द्र जी से मिली तब धर्मेन्द्र ने अपने मोबाईल से रेणुका मैडम के मोबाईल पर मेरे वेतन अपु्रवल के संबंध में बात की तथा मेरी भी बात करवाई तब रेणुका जी ने कहा था कि आपको जो करना है वो धर्मेन्द्र बता देगा जो भी है, तब धर्मेन्द जी ने मेरा वेतन अप्रुवल करने के 16,000 रुपये तथा सर्वे के 9000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, आज धर्मेन्द जी से बात कर लो वो जो कहेगे वो कर लेना, आज धर्मेन्द्र जी ने मेरे से 20,000 रुपये लेकर उसी समय अपने मोबाईल से रेणुका जी से बात की तो रेणुका जी कहा की 20,000 हजार रुपये ही क्यो दिये पूरे क्यो नही दिये जिस पर मैने पांच हजार रुपये बाद में अगली तनख्वा पर देने के लिए कहा इस पर श्रीमती रेणुका से इस बाबत पूछा तो उसने कहा कि मैने धर्मेन्द्र कुमार एल.आर.पी. से मोबाईल पर इस संबंध में कोई वार्ता नही की। आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार एल.आर.पी. व आरोपिया श्रीमती रेणुका कुमारी के मोबाईल पर जरिये वाट्सअप हुई वार्ताओ व चैटिंग की फोटो व स्क्रीन शॉट लेकर प्रिन्ट निकलाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही किये गये। आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार का मोबाईल ओपो कम्पनी मॉडल ए3 प्रो

5जी बरंग स्टेरी ब्लेक, जिसमें एक सीम [redacted]2 एयरटेल कम्पनी व दुसरी सीम [redacted] जियो कम्पनी जिसके आईएमईआई नम्बर [redacted] व [redacted] है। उक्त मोबाईल को अनलॉक व बन्द कर एक सफेद कपडे की थैली में रख थैली पर मार्क डी अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर बतौर वजह सबुत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपिया श्रीमती रेणुका कुमारी का मोबाईल सेमसंग मॉडल एफ23 5जी, बरंग एक्वा ब्ल्यू जिसमें एक सीम एयरटेल कम्पनी नम्बर [redacted] लगी है, जिसके आईएमईआई न [redacted] है। उक्त मोबाईल को अनलॉक व बन्द कर एक सफेद कपडे की थैली में रख थैली पर मार्क ई अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर बतौर वजह सबुत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार, पशुधन सदर्भ व्यक्ति, (एल.आर.पी.), राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद, कलस्टर सुलताना, ब्लाक चिड़ावा व अन्य के बरामदगी रिष्वत राशि, हाथो के धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड Geonix 32 GB में कार्यालय के श्री प्रमोद पूनिया क0स0 से रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर लेपटॉप से जोडकर चलाकर देखा तो कुल छः विडियो क्लीप रिकार्ड होना पाई जिनको बारी-बारी से चलाकर देखा तो सभी विडियो क्लीप चालु होना पाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड विडियो क्लीप को दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोरी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क एफ अंकित किया गया। फर्द धुलाई हाथ एवं बरामदी रिश्वत राशि पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, जाति नाई, उम्र 32 साल, निवासी नरहड़, पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझनू हाल पशुधन संदर्भ व्यक्ति (एल.आर.पी.), राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद, कलस्टर सुलताना, ब्लाक चिड़ावा, जिला झुंझुन व आरोपिया श्रीमती रेणुका कुमारी, ब्लॉक परियोजना अधिकारी ने आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के वेतन अपु्रवल करने की एवज में वेतन में आधा हिस्सा देने की दिनांक 29.10.2025 को 16,000 रुपये व सर्वे के 9000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 10.11.2025 को आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार को आरोपिया श्रीमती रेणुका कुमारी के कहे अनुसार परिवादिया से 20,000 रुपये प्राप्त कर अपने बैग में रख लिये जहा से रिश्वत राशि 20,000 रुपये बरामद हुई है। इस प्रकार आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) परिधि में आना पाया जाने पर जूर्म से आगाह करा एवं आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत करा जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार के बताये अनुसार उसके पिताजी श्री सुरेश कुमार को दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। आरोपिया आरोपी श्रीमती रेणुका कुमारी पत्नि श्री कैलाश कुमार, जाति जाट, उम्र 37 वर्ष, निवासी नरहड़ पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (बी.पी.एम.) ब्लॉक चिड़ावा जिला झुंझुनूं व आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार, आर.एल.पी. ने आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के वेतन अपु्रवल करने की एवज में आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार के मार्फत वेतन में से आधा हिस्सा देने की दिनांक 29.10.2025 को 16,000 रुपये व सर्वे के 9000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 10/11/2025 को आरोपिया श्रीमती रेणुका के कहे अनुसार आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी से 20,000 रुपये प्राप्त कर अपने बैग में रख लिये जहा से रिश्वत राशि 20,000 रुपये बरामद हुई है। इस प्रकार आरोपिया श्रीमती रेणुका कुमारी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की परिधि में आना पाया जाने पर जूर्म से आगाह करा आरोपिया को उसके संवैधानिक अधिकारो से अवगत तथा महिला की लोक लाज को ध्यान में रखते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपिया श्रीमती रेणुका कुमारी के बताये अनुसार उसके पति श्री कैलाश कुमार को दी गई। परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी द्वारा 10.11.2025 को आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार एल.आर.पी. से हुई रूबरू वार्ता एवं इसी दौरान आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार ने आरोपिया श्रीमती रेणुका से अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर जरिये वाटसअप वार्ता जो परिवादिया द्वारा डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है को परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी व स्वतंत्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार व राकेश कुमार की उपस्थिति में डिजिटल वार्येस रिकार्डर मय मैमोरी को लेपटॉप से जोडकर रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण व हिन्दी रुपान्तरण श्री प्रवीण कुमार कानि से तैयार करवायी गई जिसमें परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी व आरोपी श्री धर्मेन्द कुमार तथा आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार व आरोपिया श्रीमती रेणुका के मध्य रिश्वत संबंधित वार्ताए रिकार्ड होना पाई गई। डिजिटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ताओ को चार पैनड्राईव कम्पनी hp 32gb के तैयार कर पैन ड्राईव एवं मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यु निकाल कर एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क जी अंकित किया गया तथा दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मौमोरी कार्ड Geonix 32GB को निकालकर उसी की पैकिंग में रखकर मैमोरी कार्ड को एक सफेद कपडे की थैली में रख थैली पर मार्क जी-1 अंकित किया गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादिया ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री धर्मेन्द्र एल.आर.पी. व आरोपिया श्रीमती रेणुका कुमारी की आवाज होने की पहचान की है। परिवादिया

श्रीमती आशा कुमारी व स्वतंत्र गवाह् श्री सुरेन्द्र कुमार व राकेश कुमार की उपस्थिति में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 6 को कार्यालय के श्री कुमार सानु कानि 138 से नष्ट कराई जाकर फर्द नमूना शील नष्टीकरण तैयार की गई। समस्त ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न होने से परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी को आवष्यक हिदायत कर उसके परिजन के साथ रुखसत किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार, पशुधन संदर्भ व्यक्ति (एल.आर.पी.), राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद, कलस्टर सुलताना व आरोपिया श्रीमती रेणुका कुमारी, ब्लॉक परियोजना अधिकारी ने आपसी मिलीभगत कर अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी के वेतन अपु्रवल करने की एवज में वेतन में आधा हिस्सा देने की दिनांक 29.10.2025 को 16,000 रुपये व सर्वे के 9000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 10.11.2025 को आरोपी श्री धर्मेन्द्र कुमार को आरोपिया श्रीमती रेणुका कुमारी के कहे अनुसार परिवादिया श्रीमती आशा कुमारी से 20,000 रुपये प्राप्त कर अपने बैग में रख लिये जहा से रिश्वत राशि 20,000 रुपये बरामद हुई है। इस प्रकार आरोपीगण श्री धर्मेन्द्र कुमार व श्रीमती रेणुका कुमारी का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) की परिधि में आता है। अतः उक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित को प्रेषित है। (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।......................कार्यवाही पुलिस................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, जाति नाई, उम्र 32 साल, निवासी नरहड़, पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू हाल पशुधन संदर्भ व्यक्ति (एल.आर.पी.), राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद, कलस्टर सुलताना, ब्लाक चिड़ावा, जिला झुंझुनूं 2. श्रीमती रेणुका कुमारी पत्नि श्री कैलाश कुमार, जाति जाट, उम्र 37 वर्ष, निवासी नरहड़ पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनूं हाल ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, (बी.पी. एम.) ब्लॉक चिड़ावा जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 203 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1648-52 दिनांक 11.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुन्झुनू 2- निदेशक, राज्य मिशन राजीविका, जयपुर 3-जिला परियोजना प्रबन्धक, राजीविका, झुन्झुनू 3- उप महानिरीक्षक-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुन्झुनू। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				
2	Female	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)